रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2015/अग्रहायण 2, 1937
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2015/AGRAHAYANA 2, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

का.आ. 3148(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 की धारा 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2200(अ), तारीख 11 अगस्त, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 13 अगस्त, 2015 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 204.67 हेक्टर (लगभग) या 505.74 एकड़ (लगभग) है, कोयले के पूर्वेक्षण के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 204.67 हेक्टर (लगभग) या 505.74 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनन अधिकार के अर्जन करने की, अपने आशय की सूचना देती है ;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी-1(ई)III/ एचआर/922-0915, तारीख 9 सितम्बर, 2015 का निरीक्षण कलक्टर, जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :-

अर्जन की बाबत आपत्तियॉं :

" 8.(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना निकाले जाने से तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अंतर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते है ।

टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।

अनुसूची

तानसी भूमिगत खान का विस्तार

कन्हान क्षेत्र

जिला छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)

(रेखांक संख्या सी -1(ई) III/ एचआर/922-0915, तारीख 9 सितम्बर, 2015)

खनन अधिकार :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वन का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	रेंज/ब्लाक/ कम्पार्टमेंट नंबर का नाम	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन (हेक्टर में)				टिप्पणियां
							अभि-धृति	सरकारी	वन	कुल	
1	करंजपानी धुन्धी	-	07	-	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	7.840	82.81	-	90.65	पूर्ण
2	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 400	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	20.544	20.544	भाग
3	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 401	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	61.794	61.794	भाग
4	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 402	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	2.719	2.719	भाग
5	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 410	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	16.174	16.174	भाग
6	-	संरक्षित वन	-	दमुआ रेंज, रामपुर ब्लाक, न्यू 413	जुन्नार-देव	छिन्दवाड़ा	-	-	12.789	12.789	भाग
कुल :							7.840	82.81	114.020	204.670	-

कुल : 204.670 हेक्टर (लगभग)

या 505.74 एकड़ (लगभग)

ग्राम करंजपानी धुन्धी के प्लाट संख्यांक :

अभिधृति: 76, 77, 86, 93, 97, 100, 102, 115, 118, 120, 123.

सरकारी: 26 **से** 75, 78 **से** 85, 87 **से** 92, 94 **से** 96, 98, 99, 101, 103 **से** 114, 116, 117, 119, 121, 122, 124.

सीमा क्षेत्र के वन कम्पार्टमेंट संख्यांक : 400(भाग), 401(भाग), 402(भाग), 410(भाग), 413(भाग).

सीमा वर्णन :

क - ख : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्या 401(भाग) से बिन्दु 'क' से आरंभ होती है फिर रेखा वन कम्पार्टमेंट संख्यांक 402(भाग), 410(भाग) से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है ।

ख-ग-घ : रेखा, वन कम्पार्टमेंट संख्या 410(भाग) से बिन्दु 'ग' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

घ-ड.-च-

छ-ज : रेखा, ग्राम करंजपानी धुन्धी में बिन्दु 'ड.'-'च'-'छ' के पास से होकर प्लाट संख्यांक 112(सरकारी), 124(सरकारी), 121(सरकारी) की सीमा रेखा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है ।

ज-झ-ञ-

ट-ठ-ड : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्या 413(भाग) से बिन्दु 'झ'-'ञ'-'ट'-'ठ' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है ।

ड-ढ़-ण-त : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्या 400(भाग) से बिन्दु 'ढ़'-'ण' के पास से होकर गुजरती है और बिन्दु 'त' पर मिलती है ।

त-थ-क : रेखा, कम्पार्टमेंट संख्यांक 400(भाग), 401(भाग) से बिन्दु 'थ' के पास से होकर गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

[फा. सं.-43015/15/2015-पीआरआईडब्ल्यू - ।]

आर.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2015

S.O. 3148(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2200(E), dated the 11th August, 2015, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th August, 2015, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 204.67 hectares (approximately) or 505.74 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of said lands prescribed in the Schedule appended hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire mining rights in or over the land measuring 204.67 hectares (approximately) or 505.74 acres (approximately) in mining rights as described in Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-1(E) III/HR/922-0915, dated the 9th September, 2015 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Chhindwara (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra).

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:

Objections to Acquisition.-

"8.(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3: The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S. O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in part- II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

EXPANSION OF TANDSI UNDERGROUNDMINE
KANHAN AREA
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH)

(Plan bearing number C-1(E)III/HR/922-0915, dated 9th September, 2015)

Mining Rights :

Sl. No.	Name of village	Name of the Forest	Pat-wari Circle num-ber	Name of the Range /Block/ Compart-ment number	Tahsil	District	Description of land (in hectares)				Rema -rks
							Ten-ancy	Gover-nment	Forest	Total	
1.	Karanj-pani Dhundhi	-	07	-	Junnardeo	Chhind-wara	7.840	82.81	-	90.65	Full
2.	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 400	Junnar-deo	Chhind-wara	-	-	20.544	20.544	Part

3.	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 401	Junnar-deo	Chhind-wara	-	-	61.794	61.794	Part
4.	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 402	Junnar-deo	Chhind-wara	-	-	2.719	2.719	Part
5.	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 410	Junnar-deo	Chhind-wara	-	-	16.174	16.174	Part
6.	-	Protected forest	-	Damua Range, Rampur Block, New - 413	Junnar-deo	Chhind-wara	-	-	12.789	12.789	Part
Total :							**7.840**	**82.81**	**114.020**	**204.670**	**-**

Total : 204.670 hectares (approximately)

or 505.74 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Karanjpani Dhundi :

Tenancy : 76, 77, 86, 93, 97, 100, 102, 115, 118, 120, 123.

Government : 26 to 75, 78 to 85, 87 to 92, 94 to 96, 98, 99, 101, 103 to 114, 116, 117, 119, 121, 122, 124.

Compartment number within forest boundary : P400, P401, P402, P410, P413.

Boundary Description :

A – B : Line starts from Point ‘A’ in Compartment number P401, then line passes through Compartment Number P402, P410 and meets at Point 'B'.

B-C-D : Line passes nearby Point 'C' through Compartment number P410 and meets at Point 'D'.

D-E-F-

G - H : Line passes nearby Point 'E'–‘F’–‘G’ along the outer boundary of plot numbers 112(Government), 124(Government), 121 (Government) in village Karanjpani Dhundhi and meets at Point 'H'.

H-I-J-

K-L-M : Line passes nearby Point 'I'- 'J'- 'K'- 'L' through Compartment number P413 and meets at Point 'M'.

M-N-O-P : Line passes nearby Point 'N'-'O' through Compartment number P400 and meets at Point 'P'.

P-Q-A : Line Passes through Compartment number P400, P401 and meets at starting Point 'A'.

[F. No.-43015/15/2015- PRIW- I]

R. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.